महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Government of Uttar Pradesh; **NAAC A++ Accredited**; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2025 / 9038 दिनांक : 31.07.2025

सेवा में,

1–समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
2–समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / प्रबन्धक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध–राजकीय / संघटक / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय– स्वतंत्रता के अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15.08.2025 को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 1951 / सत्तर–3–2025–1953835, दिनांक 29 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के साथ संलग्न उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–351 / 90–सं–2–2025, दिनांक 23.07.2025 के माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष पर्यन्त ''हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान'' की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)

अतः कृपया उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय उपर्युक्तानुसार संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / चीफ प्राक्टर / क्रीड़ा सचिव / समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
5. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र।
6. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, बरेली।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप–कुलसचिव (प्रशासन / सम्बद्धता)।
10. उप–कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)।
11. निजी सचिव–कुलपति।
12. प्रभारी, वेबसाईट।

कुलसचिव

DR-222
30/7/25

70-3099/105/2025-उच्च शिक्षा अनुभाग-3-Higher Education Department

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-1951/सत्तर-3-2025-1953835

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
   प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।**

4. **विशेष कार्याधिकारी** एवं राज्य सम्पर्क **अधिकारी**, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2025

विषय: स्वतंत्रता के अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15.08.2025 को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-351/90-[illegible]-2025 दिनांक 23.07.2025 (छायाप्रति संलग्न), जो समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
PREM KUMAR PANDEY
Date: 29-07-2025
14:52:44

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Dr. Jyoti Pandey
D.R. (Affilia.)
29/07/25

Sh. Paramjit
30.7.25

संख्या 1951 / ... 25

"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"

अति महत्वपूर्ण

संख्या- 351 /90-सं-2-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक: 23 जुलाई, 2025

विषय:- स्वतंत्रता के अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15-08-2025 को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्या-21035/3/2020-Spl.Cell दिनांक 20-11-2024 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-03 भा०स०/90-सं०-2-2024 दिनांक 22-11-2024 एवं उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में माह नवम्बर, 2024 में वीडियों कान्फ्रेंसिंग में दिये गये दिशा निर्देशों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि वर्ष-पर्यन्त उत्सव के रूप में मनाये जाने वाले कार्यक्रमों के समन्वय हेतु संसदीय कार्य विभाग नोडल विभाग नामित है। तत्क्रम में आगामी स्वतंत्रता दिवस (15-08-2025) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

(i) सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) में संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के तथ्य पर बल दिया जाय।

(ii) सम्पूर्ण प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस (दिनांक **15-08-2025**) की विशिष्ट तिथि पर प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में पूर्व निर्धारित परम्परागत कार्यक्रमों यथा-ध्वजारोहण/प्रार्थना सभा आदि के पश्चात "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैग लाईन वाले पोस्टर, बैनर एवं झंडे के साथ प्रभात फेरियों का आयोजन कराते हुए प्रभात फेरी समाप्ति स्थल (एस0सी0/ एस0टी0 बाहुल्य क्षेत्र में अमृत सरोवर स्थलों पर बाबा साहेब बी0आर0 आंबेडकर की मूर्ति अथवा मूर्ति की अनुपलब्धता में

उनका बड़ा चित्र लगाकर उस पर माल्यार्पण अथवा पुष्पांजलि अर्पण के साथ) पर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण के सम्बन्ध में मनीषियों एवं विधि वेत्ताओं की भूमिका पर वाद-विवाद, गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन कराया जाय। इस हेतु समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं स्वायत्तशासी कार्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अन्तर्गत उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों एवं अद्यतन संविधान संशोधनों पर व्याख्यानमाला आदि का आयोजन किया जाय।

(iii) सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय। संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह का आयोजन किया जाय।

(iv) प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) में ध्वजारोहण/ प्रार्थना सभा आदि के उपरान्त संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य /राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में क्विज का आयोजन किया जाय। स्कूल/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुददे जिसमें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृहद एवं नवीन संशोधनों के आलोक में वाद-विवाद / सेमिनार एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय।

(v) यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सभी आयोजन खण्ड विकास अधिकारियों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किये जायेंगे तथा जिला स्तर पर इसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं में आयोजित होने वाले उक्त कार्यक्रमों में सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं उनके द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जायेंगी।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को स्वस्तर से यथावश्यक निर्देश निर्गत करते हुए तत्सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाई सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाई की सूचना संसदीय कार्य विभाग को पत्र एवं ईमेल आई0डी0-sansadeeya2@gmail.com पर उपलब्ध कराने एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम से सम्बन्धित तस्वीरें www.constitution75.com पर अपलोड भी कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

/

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव ।

संख्या- 351 (1)/90-सं-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ।

2- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।

3- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।

4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

5- अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

6- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

7- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

8- प्रमुख सचिव , न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

9- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

10-प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।

11-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

12-प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

13- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

14- प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

15- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(जे०पी० सिंह।)
प्रमुख सचिव।